

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 17, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 08, 2025 Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 29, 2025

संख्या प. 08(25)चिस्वा/2/1964-03110Part file (5) :-फार्मसी अधिनियम 1948 की धारा 46 में निहित शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 26-10-2002 में संशोधित करते हुए राजस्थान फार्मसी कौंसिल द्वारा लिये जा रहे शुल्को का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	कार्य का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1.	प्रथम पंजीयन शुल्क	रु. 1000/-	रु. 2000 + GST
2.	प्रत्येक योग्यता का उच्च स्तर का पंजीयन	रु. 100/-	रु. 1000 + GST
3.	शुल्क भुगतान नहीं करने के कारण नाम कटने की स्थिति में पुनः नाम दर्ज करने हेतु (जितने वर्ष नाम कटा रहा, उसके वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त)	रु. 50/-	रु. 500 (प्रति वर्ष) + GST
4.	वार्षिक शुल्क (नवीनीकरण हेतु)	रु. 250/-	रु. 300 + GST
5.	अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत पुनः स्थापना शुल्क	रु. 1000/-	रु. 2000 + GST
6.	नाम या उपनाम के परिवर्तन का पंजीयन	रु. 100/-	रु. 100 + GST
7.	प्रत्येक प्रमाणित प्रति का शुल्क (पंजीयन में प्रत्येक प्रविष्टि हेतु)	रु. 100/-	रु. 100 + GST
8.	नियम 39 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क	रु. 1000/-	रु. 2000 + GST
9.	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	शुन्य	रु. 5000 + GST
10.	गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट	रु. 100/-	रु. 2000 + GST

राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रीति माथुर,
शासन संयुक्त सचिव।

7171

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।